तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मैंने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी/प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 440 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम बन्देडिया एवं खसरा नंबर 318 रकबा 1.82 है0 वाके ग्राम बासला पर उनके कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न न करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया है। साथ ही ताफेसला अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा स्थायी जमाबंदी 25.07.2024 के अनुसार वादी विवादित आराजी का खातेदार है। स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में कब्जे का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। वादी/प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा बताया गया है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा वादी/प्रार्थी का एकमात्र कब्जा होने से इंकार किया है और धन्नालाल के पांचों पुत्रों/उनके वारिसानों के द्वारा विवादित आराजी को सामलाती काश्त किया जाना बताया है। विवादित आराजी पर वर्तमान में कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसका विनिश्चय मूल दावे में विचारण के उपरान्त ही हो सकेगा। अतः वादी/प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। प्रथम दृष्टया के अभाव में सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.07.23 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner